भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2487

03 दिसम्बर, 2019

"बदायूँ में चीनी मिलों की कमी"

2487. डॉ. संघमित्रा मौर्य:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बदायूँ लोक सभा संसदीय क्षेत्र, (उत्तर प्रदेश) में चीनी की मिलों की कमी है जबकि यहां बड़ी मात्रा में गन्ने का उत्पादन होता है और कुछ चीनी मिलें उत्पादन के अनुसार किसानों को भुगतान करने में समर्थ नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भविष्य में उक्त लोक सभा संसदीय क्षेत्र में गरीब किसानों हेतु कोई चीनी मिल स्थापित करने का है,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्री दानवे रावसाहेब दादाराव)

(क): उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार बदायूँ लोक सभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समस्त गन्ने की पेराई की पर्याप्त क्षमता रखने वाली दो चीनी मिलें है। दोनों चीनी मिलों ने बदायूँ लोक सभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गन्ना किसानों को 414.43 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। उनमें से एक चीनी मिल को चीनी मौसम 2018-19 में 106.83 करोड़ रुपए की बकाया राशि का भुगतान करना है। हालांकि, राज्य सरकार ने इस चीनी मिल को गन्ना देय राशि का भुगतान करने के लिए कानूनी नोटिस भेजा है।

(ख), (ग) और (घ): उतर के भाग (क) के अनुसार, प्रश्न नहीं उठता है। केंद्र सरकार देश के किसी भाग में चीनी मिल की स्थापना नहीं करती है। इसके अलावा, चीनी उद्योग को दिनांक 31.08.1998 से लाइसेंस-मुक्त कर दिया गया है। लाइसेंस-मुक्त होने के बाद, उद्यमी चीनी मिलों की स्थापना करने के लिए मुक्त हैं बशर्ते कि वे गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 में दी गई शर्तों को पूरा करते हों।

****